संख्या–1114 /26–2–2010–100(69)/02

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

समाज कल्याण अनु0–2 लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2010

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित आयोजनागत पक्ष की योजना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2229/स0क0/एन0एस0ए0पी0/2010, दिनांक 2–4–2010 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय– ज्ञाप संख्या–बी–1–951 /दस–2010 –231/210, दिनांक 26–3–2010 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान रू0 200.00 करोड़ के सापेक्ष केन्द्रांश के मद में रू0 25,00,00,000/– (रूपया पच्चीस करोड मात्र) तथा राज्यांश के मद में रू0 50,00,00,000/–(रूपया पचास करोड़) अवमुक्त करके व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय– ज्ञाप संख्या–बी–1–951 /दस–2010 –231/210, दिनांक 26–3–2010 में उल्लिखित शर्तो/नियमों तथा इस हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी वित्तीय नियमों एवं आदेशों तथा मितव्ययिता से संबंधित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ।

3– विभागाध्यक्ष अनुदान के अंतर्गत होने वाले संभावित व्यय की फोजिंग के आधार पर अनिवार्य रूप से वित्त विभाग तथा शासन को उपलब्ध करायेंगे , जिसमें राज्य स्तर पर आहरण निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो ।

4– बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बी–एम–13 पर नियमित रूप से व्यय विवरण प्रशासकीय विभाग के साथ–साथ वित्त विभाग (संबंधित व्यय नियंत्रण अनुभाग) को भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाय ।

5– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80 के लेखा शीर्षक "2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण– 02–समाजकल्याण–104–वृद्ध अशक्त तथा नि:सहाय, व्यक्तियों का कल्याण– आयोजनागत –05–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम–0502–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा ।

7– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय– ज्ञाप संख्या–बी–1–951 /दस–2010 –231/210, दिनांक 26–3–2010 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

पृ0सं0–1114 (1)/26–2–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. एन0एस0ए0पी0डिवीजन,ग्रामीणविकास0मंत्रालय,भारतसरकार,नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/आडिट) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (बजट), अनुभाग–1/2 ।
5. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2
6. केन्द्रीय सहायता अनुभाग /
7. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. आदेश पंजिका /गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।